



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 कार्तिक 1939 (श10)
(सं0 पटना 1081) पटना, वृहस्पतिवार, 16 नवम्बर 2017

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

16 नवम्बर 2017

एस. ओ. 284 दिनांक 16 नवम्बर 2017—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) (जिसे इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या एस.ओ. 235 दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 जो बिहार राजपत्र, असाधारण अंक, में संख्या 973 दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, को सिवाय उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई थीं या जिनके किए जाने का लोप किया गया था, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को जिसने उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन सम्मिश्र उदग्रहण का विकल्प नहीं दिया था, को व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के रूप में अधिसूचित करते हैं, जो उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (क) में यथाविनिर्दिष्ट पूर्ति के समय मालों की जावक पूर्ति पर जिसके अंतर्गत वह स्थितियां भी हैं जिन पर उक्त अधिनियम की धारा 14 के उपबंध लागू होते हैं, राज्य कर का संदाय करेंगे और तदनुसार उक्त अधिनियम के अध्याय 9 और तद्धीन बनाए गए नियमों में यथावर्णित ब्यौरे और विवरणियां प्रस्तुत करेंगे तथा ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग द्वारा कर के संदाय के लिए विहित अवधि वह होगी जो उक्त अधिनियम में विनिर्दिष्ट है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 15 नवंबर, 2017 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जी०एस०टी०/विविध-21/2017-4104)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

16 नवम्बर 2017

एस. ओ. 285, एस. ओ. 284, दिनांक 16 नवम्बर 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जी०एस०टी०/विविध-21/2017-4104)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 16th November 2017

S.O. 284 dated 16th November 2017— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act) and in supersession of notification S.O. No. 235 dated the 13th October, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 973 dated the 13th October, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered person who did not opt for the composition levy under section 10 of the said Act as the class of persons who shall pay the State tax on the outward supply of goods at the time of supply as specified in clause (a) of sub-section (2) of section 12 of the said Act including in the situations attracting the provisions of section 14 of the said Act, and shall accordingly furnish the details and returns as mentioned in Chapter IX of the said Act and the rules made thereunder and the period prescribed for the payment of tax by such class of registered persons shall be such as specified in the said Act.

2. This notification shall come into force with effect from 15 November, 2017.

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-21/2017-4104)]

By the order of Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

Commissioner-cum-Principal Secretary

Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण) 1081-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>